गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत

गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम की योजना

वर्ष 2011–12

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0

Title of project	Sugarcane seed production programme
Implementing agency	Sugarcane department
Project status	New
Project duration	4 Year
Recommended cost (Year 2011-12)	Rs. 3828.28 Lacs.

Component wise physical and financial Details:-

(Rs. In lacs)

S. N.	Component	Unit	Physical target	Financial target
A-	**Breeder/Foundation seed production at U.P.C.S.R.; Shahjahanpur**			
i.	Breeder/Foundation seed production	Qtl.	200000	199.47
B-	**Sugarcane seed production- Sugarcane deptt.**			
i	Nursery- Foundation/Primary Seed	Qtl.	1200000	600.00
ii	Subsidy on seed (Breeder/Foundation) Transportation	Qtl.	1350000	106.30
iii	Demonstration	No.	4000	600.00
iv	Agril. Implements	No.	37500	940.75
v	Distribution of micro-nutrients	Ha.	175000	995.42
vi	Estabilshemnet of soil testing labs	No.	15	300.00
	Training and extension- Training		113	17.09
vii	- Kisan mela/doordarshan/Radio etc.	No.	96	31.05
viii	Incentive for efficient extension worker	No.	714	31.20
ix	Operational cost	No.	50	7.00
	Total			**3828.28**

गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

भूमिका :–

गन्ना क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश होने के साथ–साथ कृषकों की आजीविका एवं आय का प्रमुख स्रोत है। गन्ने से न केवल गन्ना एवं गन्ना आधारित विविध उत्पाद (चीनी, गुड़, शक्कर, खाड़, शीरा, शराब, प्रेसमड केक व स्पैन्डवाश) आदि की पूर्ति हाती है, बल्कि फसल व्यवसाय से जुड़े अन्य अति महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन हेतु वर्ष के 7 से 8 महीनों (अक्टूबर से अप्रैल–मई) तक हरा चारा भी उपलब्ध रहता है।

चीनी मिलों की संख्या तथा पेराई क्षमता में वृद्धि, औसत पैदावार में गिरावट, उत्पादन लागत का बढ़ना तथा कृषि जोत का सिकुड़न कुछ ऐसे कारक हैं, जो चीनी मिलों को उनकी मांग के अुनसार सम्पूर्ण पेराई सत्र में भरपूर एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बाधक हैं।

सम्पूर्ण भारत वर्ष के कुल गन्ना क्षेत्रफल 36.61 लाख हे0 का लगभग 21 लाख हे0 (58 प्रतिशत) से अधिक क्षेत्रफल अकेले उत्तर प्रदेश में है, परन्तु गन्ना उत्पादन तथा चीनी परता राष्ट्रीय औसत से अत्यंत ही कम हैं।

तालिका संख्या–1

विभिन्न प्रदेशों में गन्ना क्षेत्रफल, औसत उपज, चीनी परता तथा चीनी उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े

(वर्ष 2009–10)

क्र0 सं0	प्रदेश का नाम	गन्ना क्षेत्रफल (हजार हे0 में)	औसत उपज (मै0ट0 / हे0)	गन्ना पेराई (ला0मै0ट0)	चीनी उत्पादन (ला0मै0ट0)	चीनी परता (प्रतिशत में)
1	महाराष्ट्र	736	76.8	613.90	70.67	11.51
2	तमिलनाडु	314	101.1	143.28	12.80	8.97
3	कर्नाटक	326	89.3	239.77	25.58	10.67
4	आन्ध्र प्रदेश	158	74.1	55.46	5.15	9.28
5	गुजरात	192	70.0	112.95	11.89	10.53
6	उत्तर प्रदेश	1788	58.8	567.34	51.79	9.13
7	हरियाण	74	72.1	26.48	2.48	9.37
8	पंजाब	60	61.6	21.12	1.81	8.59
9	बिहार	119	41.8	27.23	2.58	9.49
10	सम्पूर्ण भारत	4202	66.1	1855.48	189.12	10.20

Sources : Indian sugar- Feb. 2011 vol. No.- LX, No-11

तालिका संख्या–2

विगत दस वर्षों में विभिन्न प्रदेशों में चीनी उत्पादन (लाख मै0ट0)

क्र0 सं0	प्रदेश का नाम	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008	2008–2009	2009–2010
1	आन्ध्र प्रदेश	10.22	10.48	12.10	8.86	9.82	12.36	16.80	13.35	5.93	5.15
2	कर्नाटक	16.13	15.50	18.68	11.16	10.40	19.43	26.60	29.00	16.64	25.58
3	तमिलनाडु	17.81	18.39	16.44	9.21	11.08	21.42	25.40	21.41	15.98	12.80
4	महाराष्ट्र	67.05	56.13	62.15	31.75	22.17	51.97	91.00	90.75	45.78	70.67
5	उत्तर प्रदेश	43.94	52.60	56.61	45.51	50.37	57.84	84.75	73.19	40.64	51.79
6	बिहार	2.88	3.42	4.08	2.74	2.54	4.22	4.51	3.36	2.14	2.58
7	हरियाण	5.86	6.24	6.36	5.82	4.00	4.09	6.52	5.99	2.29	2.48
	सम्पूर्ण भारत	185.19	185.27	201.40	135.46	126.91	192.67	283.61	263.56	145.38	189.12

Sources : Indian sugar- Feb. 2011 vol. No.- LX, No-11

तालिका संख्या–3

उत्तर प्रदेश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गन्ना क्षेत्रफल, औसत उपज, गन्ना उत्पादन तथा चीनी उत्पादन आदि के आंकड़े

क्र0 सं0	पंचवर्षीय योजना का अन्तिम	गन्ना क्षेत्रफल (ला0हे0 में)	औसत उपज (मै0ट0 / हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0मै0ट0)	चीनी उत्पादन (ला0मै0ट0)	चीनी मिलों की संख्या	पेराई क्षमता (टी0सीडी0)	चीनी परता (प्रतिशत में)
1	पहली पंचवर्षीय योजना	7.97	40.10	319.34	10.98	68	72327	9.69
2	दूसरी पंचवर्षीय योजना	9.84	37.72	371.10	12.04	71	84859	9.32
3	तीसरी पंचवर्षीय योजना	8.26	36.43	300.88	7.11	71	102059	9.58
4	चौथी पंचवर्षीय योजना	12.09	44.12	533.28	12.97	74	113218	8.99
5	पांचवी पंचवर्षीय योजना	14.69	39.40	578.78	14.63	88	131535	9.28
6	छठी पंचवर्षीय योजना	14.70	46.13	678.05	14.77	99	161439	9.56
7	सांतवी पंचवर्षीय योजना	18.55	57.51	1066.77	36.51	106	214991	9.18
8	आठवी पंचवर्षीय योजना	21.96	60.76	1334.21	39.22	122	351318	9.59
9	नवीं पंचवर्षीय योजना	20.54	54.40	1117.38	43.87	110/100	358804	9.73
10	दसवी पंचवर्षीय योजना	26.62	59.59	1546.22	84.75	133	709000	9.47
11	वर्ष 2007–08	28.50	56.46	1608.55	73.19	132	761000	9.78
12	वर्ष 2008–09	21.40	51.77	1107.00	40.64	131	764000	8.94
13	वर्ष 2009–10	17.88	58.80	1051.34	51.79	128	773000	9.13
14	वर्ष 2010–11 (अनुमानित)	21.01	57.00	1200.00	61.41	125	765000	9.14

आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि यद्यपि सम्पूर्ण देश का गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन लगातार घट रहा है, परन्तु उ0प्र0 में क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में ही बहुत उतार–चढ़ाव है। गन्ना उत्पादकता जो वर्ष 1997–98 में 60.76 टन प्रति हे0 के साथ चीनी परता 9.82 प्रतिशत वर्ष 2003–04 में अधिकतम रही, बाद के वर्षों में लगातार घटी है। उत्पादकता में गिरावट मुख्यतया उन्नतिशील अधिक चीनी परता वाली प्रजातियों के गन बीज की कमी, भूमि उर्वरता में ह्रास एवं असंतुलित उर्वरकों काप्रयोग, उत्पादन लागत में बढ़ौत्तरी सिंचाई के साधनों की कमी, कीटरोग एवं बीमारियों का प्रकोप आदि मुख्य कारण हैं, जिसके कारण विदेश के कृषकों को उत्पादन लागत की अपेक्षा गन्ना मूल्य बढ़ाने पर भी आय कम प्राप्त हो रही है।

प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादन 70 मै0ट0 प्रति हे0 तथा औसत चीनी परता 10 प्रतिशत करने हेतु उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों के ब्रीडर/ सर्टिफाइड बीज, गन्ना शोध परिषद के विभिन्न केन्द्रों तथा शोध केन्द्र के वैज्ञानिकों के देख–रेख में कृषकों के खेत पर अधिक मात्रा में उत्पादित कर गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराने, शोध केन्द्रों पर उत्पादित बीज को सम्वर्धित करने हेतु कृषकों तथा चीनी मिलों के फार्म पर आधार पौधशाल (Foundation Nursery) तथा प्राथमिक पौधशालायें (Primary Nursery) स्थापित करने, कृषकों के खेतों तक गन्ना बीज के यातायात, कृषकों को वैज्ञानिक तथा आधुनिक कृषि के नवीनतम पद्वतियों के विस्तार हेतु प्रदर्शन, खेतों की तैयारी में प्रयुक्त होने वाले कृषि यन्त्रो तथा कीट रोगों के रोकथाम हेतु कृषि यन्त्रों, सिंचाई को अधिक सुविधाजनक करने हेतु, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में निम्न योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं :–

अ– <u>अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन कार्यक्रम</u>

<u>(शोध क्रय केन्द्रों पर न्यूक्लियस/ ब्रीडरसीड का उत्पादन द्वारा उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर)</u>

गन्ने की उपज को प्रभावित करने वाले कारकों में उन्नतिशील प्रजातियों एवं गुणवत्तायुक्त बीज गन्ने का प्रमुख स्थान है, क्योंकि अच्छे बीज से अच्छा जमाव व उत्पादन सम्भव है। गन्ना वानस्पतिक भाग द्वारा प्रवर्धित की जाने वाली फसल है, इसलिये अन्य फसलों की तुलना में अधिक मात्रा में (लगभग 60 कु0/ हे0) बीज गन्ना आवश्यकता पड़ती है। इसलिये अधिकांश कृषक अपने ही खेतों खड़ी सामान्य फसल से गन्ना लेकर बुवाई कर लेते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। साथ ही पुरानी अस्वीकृति प्रजातियों की बुवाई करने से फसल में विभिन्न प्रकार के रोगों व हानिकारक कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादन के साथ–साथ चीनी का परता भी कुप्रभावित हो जाता है।

अतः प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि हेतु कुल बावग गन्ना क्षेत्रफल को 4 वर्ष में गुणवत्तायुक्त बीज गन्ना सें आच्छादित करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में परियोजना का प्रारूप निम्नवत है :–

प्रदेश की कुल लगभग 11.00 ला0हे0 क्षेत्रफल को 4 वर्ष में गुणवत्तायुक्त बीज गन्ना से आच्छादित करने हेतु कुल 384 हे0 क्षेत्रफल में अभिजनक बीज गन्ना उत्पादित करने की आवश्यकता होगी। शोध परिक्षेत्र पर 120 हे0 क्षेत्रफल में बीज गन्ना उगाया जा रहा है।

इस प्रकार 264 हे0 अतिरिक्त भूमि में और अभिजनक बीज गन्ना उत्पादित करना प्रस्तावित है, जिसके लिये कार्य योजना निम्नवत है :–

264 हे0 क्षेत्रफल में से 50 हे0 क्षेत्रफल शोध प्रक्षेत्रों पर बढ़ाया जायेगा। शेष 214 हे0 क्षेत्रफल को पूर्व, मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों में क्रमशः 57, 100 एवं 57 हे0 क्षेत्रफल हेतु प्रगतिशील कृषकों का चयन कर अभिजनक बीज गन्ना उत्पादित किया जायेगा। अभिजनक बीज गन्ना की बुवाई बीज गन्ना के उष्ण उपचार के उपरान्त किया जायेगा ताकि अगले 3–4 वर्षों तक बीज गन्ना में किसी भी प्रकार की बीमारी व कीट का आपतन न हो। अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन हेतु विकसित उन्नत कृषि तकनीक का पालन किया जायेगा तथा बीज गन्ना की शुद्धता, रोग व कीट मुक्तता हेतु वर्ष में कम से कम तीन बार वैज्ञानिक समूहों द्वारा निरीक्षण कराकर रोगिंग करायी जायेगी। गन्ना आयुक्त उ0प्र0 के आवंटनानुसार बीज गन्ना का वितरण किया जायेगा। आधार व प्रमाणित पौधशालाओं आदि का रख–रखाव/ संचालन गन्ना विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

नोट– प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृत होने के उपरान्त आगामी शरद वर्ष 2011 की बुवाई से प्रारम्भ किया जायेगा।

परियोजना संचालित करने हेतु आवश्यकता एव बजट

i. कृषि यन्त्र (भौतिक एवं वित्तीय)

क्र0 सं0	पद का नाम	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	योग	मूल्य प्रति आइटम	कुल उपलब्ध धनराशि
1	हाट वाटर ट्रीटमेंन्ट (मोबाइल)	1	1	1	3	2.50	7.50
2	जनरेटर (25केबीए)	1	1	1	3	2.00	6.00
3	जीप	0	0	0	0	0.00	0.00

4	मोटर साइकिल	0	0	0	0	0	0
5	कम्प्यूटर (एसेसरीज सहित)	1	2	1	4	0.50	2.00
6	पावर स्प्रेयर	1	2	1	4	0.50	2.00
7	बूम स्प्रेयर	1	2	1	4	0.10	0.40
8	वे ब्रिज	0	0	0	0	0	0
9	प्लेट फार्म बैलेन्स	0	0	0	0	0	0
10	स्प्रिंग बैलेन्स	3	5	3	11	0.02	0.22
11	मोबाइल वाटर टेंक 2000 लीटर	1	1	0	2	2.00	4.00
12	पी0ओ0एल0	0	0	0	0	0	0
योग :–		**9**	**14**	**8**	**31**		**22.12**

ii. <u>अभिजनक बीज गन्ना बुवाई, प्रमाणीकरण, रोगिंग व देख–भाल हेतु वैज्ञानिक एवं सुपरवाइजर आदि की सेवा प्रदाता से अनुबन्ध पर सेवायें–</u>

विवरण	संख्या	मानदेय (रू0)	प्रथम वर्ष (ला0रू0)	द्वितीय वर्ष (ला0रू0)	तृतीय वर्ष (ला0रू0)	चतुर्थ वर्ष (ला0रू0)	योग (ला0रू0)
वैज्ञानिक एवं सुपरवाईजर आदि की सेवा प्रदाता से अनुबन्ध पर सेवायें			**16.40**	**16.40**	**16.40**	**16.40**	**65.60**

iii. <u>अभिजनक बीज गन्ना हेतु अनुदान–</u>

अभिजनक बीज गन्ना की मात्रा (कु0)	अनुदान दर (रू0)	प्रथम वर्ष (ला0रू0)	द्वितीय वर्ष (ला0रू0)	तृतीय वर्ष (ला0रू0)	चतुर्थ वर्ष (ला0रू0)	योग (ला0रू0)
150000	**100 / कु0**	**150.00**	**230.36**	**230.36**	**230.36**	**841.08**

iv. <u>पौधाशाला धारकों का बीज गन्ना उत्पादन तकनीकी हस्तान्तरण हेतु प्रशिक्षण (ला0रू0)–</u>

विवरण	प्रशिक्षण की संख्या	प्रति पशिक्षण व्यय	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	योग
प्रशिक्षण							
पूर्वी क्षेत्र	1	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	3.50
मध्य क्षेत्र	-	0.50	0	1.00	1.00	1.00	3.00
पश्चिमी क्षेत्र	1	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	3.50
योग :–	**6**	**1.50**	**1.00**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**10.00**

वर्षवार बजट की आवश्यकता (सारांश)

क्र0 सं0	योजना का वर्ष	मदवार विवरण तथा आवश्यक धनराशि (ला0रू0)				योग (ला0रू0)
		कृषि यन्त्र	स्टाफ	बीज अनुदान	प्रशिक्षण	
1	2011–12	32.07	16.40	150.00	1.00	199.47
2	2012–13	-	16.40	230.36	3.00	249.76
3	2013–14	-	16.40	230.36	3.00	249.76
4	2014–15	-	16.40	230.36	3.00	249.76
योग :–		**32.07**	**65.60**	**841.08**	**10.00**	**948.75**

ब– गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

गन्ना विकास विभाग द्वारा शोध क्रय केन्द्रों पर उत्पादित अभिजनक बीज की मात्रा कम होने के कारण प्रदेश में प्रतिवर्ष बोये जाने वाले लगभग 11.00 हे0 गन्ने की फसल को उन्नतिशील प्रजातियों से एक ही वर्ष में आच्छादित करना सम्भव नहीं है। इसलिये शोध क्रय केन्द्र से प्राप्त अभिजनक बीज को सम्बर्धित कर गन्ना बीज की मात्रा को बढाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार 4 वर्षों में सम्पूर्ण बावग गन्ना क्षेत्रफल को उन्नतशील प्रजातियों से आच्छाति करने हेतु कृषकों/ चीनी मिलों के फार्म पर प्रथम वर्ष के आधार पौधशाल (Foundation Nursery) तथा द्वितीय वर्ष में आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज सें प्राथमिक पौधशालायें (Primary Nursery) स्थापित करायी जायेगी। प्राथमिक पौधशालाओं में उत्पादित बीज को सामान्य बुवाई हेतु वितरित किया जायेगा। योजना के अन्त में लगभग 753.84 ला0कु0 गन्ना बीज उपलब्ध होने की सम्भावना हैं, जिससे गन्ने का सम्पूर्ण क्षेत्रफल उन्नतिशील प्रजातियों से आच्छादित हो जायेगा।

प्रस्तुत योजना में वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार प्रति हे0 बीज की मात्रा 60 कु0 तथा गन्ना बीज की उपज 600 कु0/ हे0 के आधार पर आगणन किया गया है। प्रस्तुत योजनाओं में निम्न बिन्दुओ ंका पालन सुनिश्चित किया जायेगा–

i. साक्षर, साधन सम्पन्न तथा प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर पौधशालायें तथा प्रर्दशन स्थापित किये जायेंगे, जिससे लाभार्थी कृषक वैज्ञानिक संस्तुतिओं के अनुसार प्रगतिशील खेती कर सके।

ii. आधार पौधशाला की स्थापना चीनी मिल गेट/ गन्ना विकास परिषद के ग्रामों में ही की जायेगी, जिससे पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में सुविधा हो।

iii. प्राथमिक पौधाशालायें चीनी मिल के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थापित की जायेगी, जिससे बीज वितरण में सुविधा हो।

iv. प्रदर्शन क्लस्टर के रूप में स्थापित किये जायेंगे, जिससे कृषकों के प्लाट तथा विभाग द्वारा स्थापित प्रदर्शन की तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा हो।

v. आधार पौधशाला धारक कृषक को 25 कु0 से अधिक गन्ना बीज वितरित नहीं किया जायेगा।

vi. गन्ना समिति के सदस्यों को ही जो चीनी मिलों को नियमिति गन्ना आूपर्ति करते हैं, को ही सुविधा दी जायेगी।

vii. प्रत्येक वर्ष पौधशाला तथा प्रदर्शन धारकों को दो वर्ष में बदल दिया जायेगा।

viii. पौधशालायें तथा प्रदर्शन प्लाट यथासम्भव सड़क के किनारे स्थापित कराये जायेंगे, जिससे निरीक्षण में सुविधा हो।

ix. सिंचाई तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था वाले कृषकों को ही सुविधा दी जायेगी।

x. कृषकों का चयन गन्ना विकास विभाग तथा चीनी मिलों के सहयोग से किया जायेगा तथा मन्त्री, गन्ना विकास परिषद लाभार्थियों का चयन प्रस्ताव गन्ना विकास परिषद के बोर्ड से करायेगा, जिसका अनुमोदन जिला गन्ना अधिकारी से होगा।

xi. आधार पौधशाला के बीज को प्राथमिक पौधशाला स्थापित करने हेतु 50 कु0 से अधिक बीज किसी कृषक को नहीं दिया जायेगा, जिससे लाभार्थी कृषकों की संख्या में बढ़ौत्तरी हो सके।

xii. पौधशाला तथा प्रदर्शन परिक्षेत्र पर बोर्ड लगाया जायेगा, जिसमें आवश्यक सूचनायें अंकित की जायेगी।

xiii. प्रति 200 हे0 गन्ना क्षे0 पर प्रति प्रदर्शन (0.5 हे0) रखा जायेगा, जिससे तीन वर्ष में सम्पूर्ण क्षेत्रफल आच्छादित किया जा सकेगा।

xiv. जेण्डर फोकस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं तथा भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में अनुसूचित जाति/ जनजाति के 21 प्रतिशत कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

xv. प्रदर्शन में बुवाई हेतु उपलब्धता के अनुरूप प्रमाणित बीज का ही प्रयोग किया जायेगा तथा इससे उत्पादित बीज को प्रमाणीकरण के पश्चात कृषकों में वितरित किया जायेगा।

xvi. पोधाशालाओं का प्रदर्शन का निरीक्षण गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा अपने सर्किल के प्रत्येक प्रक्षेत्रों को प्रत्येक पक्ष में एक बार अवश्य किया जायेगा।

xvii. गन्ना विकास निरीक्षकों द्वारा अपने ब्लाक में प्रत्येक पौधशाला तथा प्रदर्शन का माह में एक बार अवश्य निरीक्षण किया जायेगा।

xviii. ज्येश्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों द्वारा जोन में स्थापित समस्त आधार पौधशाला तथा प्रदर्शनों का निरीक्षण माह में एक बार तथा प्राथमिक पौधशाला का निरीक्षण दो माह में एक बार अवश्य किया जायेगा।

xix. जिला गन्ना अधिकारियो/ बीज उत्पादन अधिकारियों द्वारा समस्त आधार पौधशालाओं का निरीक्षण वर्ष में 3 बार तथा प्राथमिक पौधशाला तथा प्रदर्शनों का निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य किया जायेगा।

xx. आधार पौधशाला में उत्पादित बीज का प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारियों द्वारा बुवाई प्रारम्भ होने के दो सप्ताह पूर्व अवश्य किया जायेगा।

xxi. प्राथमिक पोधशाला तथा प्रदर्शन में उत्पादित बीज का प्रमाणीकरण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा बुवाई प्रारम्भ होने से दो सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

xxii. निरीक्षण के समय गन्ने की पैदावार बढ़ाने तथा कीट रोग के रोकथाम हेतु आवश्यक सुझाव पौधशाला प्रदर्शन रजिस्टर में अंकित किये जायेंगे तथा निरीक्षण के समय भी लाभार्थी को आवश्यक सुझाव सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

xxiii. चीनी मिल तथा विभागीय वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जायेगी।

xxiv. प्रत्येक सत्र में बुवाई के पश्चात लाभार्थियों की सूची जोन स्तर, जिला स्तर तथा उप गन्ना आयुक्त स्तर पर अवश्य संरक्षित की जायेगी, जिससे आकस्मिक निरीक्षण के समय उपलबध कराया जायेगा।

xxv. शरदकालीन बुवाई से पूर्व सितम्बर माह में तथा बसन्तकालीन बुवाई से पूर्व जनवरी माह में गोष्ठियां एवं मेले अनिवार्य रूप से आयोजित किये जायेंगे, जिसमें वैज्ञानिकों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा गन्ने की बुवाई से सम्बन्धित जानकारियां आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

xxvi. प्रत्येक वर्ष में बुवाई से पूर्व निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–1) बीज वितरण/ बुवाई कार्यक्रम जिसमें लाभार्थियों तथा विस्तृत बीज वितरण का सीड मूवमेन्ट प्लान अंकित होगा, तैयार किया जायेगा तथा उपरोक्तानुसार आयोजित गोष्ठियों में विचार विमर्श के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

ब– प्रस्तावित योजनायें निम्नवत हैं :–

1. आधार पौधशाला – शोध केन्द्रों से उपलब्ध कराये गये ब्रीडर सीड को सवंर्धित करने हेतु कृषकों/ चीनी मिल फार्मो पर आधार पौधशालायें स्थापित की जायेंगी, जिससे आगामी वर्ष में गन्ना कृषकों को उन्नतिशील प्रजातियों का अधिक बीज उपलब्ध हो सके। वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार शोध केन्द्रो से प्राप्त न्यूक्लियस बीज की मात्रा लगभग 10 गुना अधिक बीज पौधशाला में उत्पादित होगा। शोध केन्द्र से प्राप्त बीज से वर्ष 2011–12 में लगभग 2000 हे0 आधार पौधशालायें कृषकों तथा चीनी मिल फार्म पर स्थापित की गयी हैं। 600 कु0/ हे0 उपज के आधार पर (2000X600) 120000 कु0 बीज उत्पादित होगा, जो लगभग 22000 हे0 में प्राथमिक पौधशालाओं हेतु पर्याप्त होगा। वर्ष 2012–13 में शोध परिषद द्वारा अधिक अभिजनक बीज उत्पादित करने के कारण प्रति वर्ष 3438 हे0 में आधार पौधशालायें स्थापित की जायेंगी। बीज उत्पादन/ बीज वितरण पर रू0 50 / कु0 की दर से पौधशाला धारकों को अनुदान दिया जायेगा। भौतिक तथा वित्तीय आवश्यकता का विवरण निम्नवत होगा :–

बुवाई वर्ष	भौतिक लक्ष्य (हे0मे0)	उत्पादित बीज (ला0कु0 में)	वित्तीय (ला0रू0में)	लाभान्वित कृषक	दर
2011–12	2000	12.000	600.000	52800	@ रू0 50/– प्रति कु0
2012–13	3438	20.628	1031.400	82512	@ रू0 50/– प्रति कु0
2013–14	3438	20.628	1031.400	82512	@ रू0 50/– प्रति कु0
2014–15	3438	20.628	1031.400	82512	@ रू0 50/– प्रति कु0
योग :–	**12314**	**73.884**	**3694.200**	**300336**	

2. प्राथमिक पौधशाला – यदि आधार पौधशाला में उत्पादित बीज को सामान्य बुवाई हेतु वितरित कर दिया जाता है, तो बहुत ही कम क्षेत्र में उन्नतिशील प्रजातियों का क्षेत्र विस्थापित होगा। इसलिये आधार पौधशाला में उत्पादित बीज से प्राथमिक पोधशालायें स्थापित की जायेंगी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 22000 हे0 होगा। प्राथमिक पौधशाला में प्रदेश की वर्तमान उत्पादकता को देखते हुये 132.00 लाख कु0 (वर्ष 2012–13) बीज उत्पादित होगा, जो कृषकों को सामान्य बुवाई हेतु वितरित किया जायेगा। वर्ष 2012–13 से अधिक मात्रा में अभिजनक बीज की उपलब्धता के कारण 3438 हे0 में आधार तथा इससे प्राप्त बीज से 34380 हे0 प्राथमिक पौधशालायें (वर्ष 2013–14) से स्थापित होगी जिससे 206.80 ला0कु0 बीज मिलेगा, जो 343800 हे0 क्षेत्रफल का आच्छादन के लिये पर्याप्त होगा। प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित बीज जो सामान्य बुवाई हेतु कृषकों में वितरित किया जायेगा, रूपया 25 प्रति कु0 अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। भौतिक तथा वित्तीय आवश्यकता निम्नवत होगी :–

बुवाई वर्ष	भौतिक लक्ष्य (हे0मे0)	उत्पादित बीज (ला0कु0 में)	वित्तीय (ला0रू0में)	लाभान्वित कृषक	दर
1	2	3	4	5	6
2012–13	22000	132.000	3300.00	52800	@ रू0 25/– प्रति कु0
2013–14	34380	206.28	5157.00	825100	@ रू0 25/– प्रति कु0
2014–15	34380	206.28	5157.00	825100	@ रू0 25/– प्रति कु0
2015–16	34380	206.28	5157.00	825100	@ रू0 25/– प्रति कु0
योग :–	**125140**	**750.840**	**18771.00**	**2528100**	

3. बीज यातायात – शोध केन्द्रों में उत्पादित अभिजनक बीज कृषको तथा फैक्ट्री फार्म पर वितरण के लिये परिवहन हेतु क्रमशः रू0 15 प्रति कु0 गन्ना विकास परिषद/ चीनी मिल जो शोध केन्द्र से बीज को लाकर पौधशाला धारकों को उपलब्ध करायेगा, अनुदान दिया जायेगा। आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के परिवहन हेतु रू0 07/ प्रति कु0 परिवहन अनुदान प्राथमिक पौधशाला स्थापित करने हेतु क्रेता कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। भौतिक तथा वित्तीय प्रगति निम्नवत होगी :–

i. **अभिजनक बीज से आधार पौधशाला अधिष्टापन हेतु यातायात अनुदान :–**

बुवाई वर्ष	वितरित बीज की मात्रा (ला0कु0 में)	कुल आवश्यक धनराशि (ला0रू0 में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या	दर
2011–12	1.50	22.500	5280	@ रू0 15/– प्रति कु0
2012–13	2.06	30.94	8240	@ रू0 15/– प्रति कु0
2013–14	2.06	30.94	8240	@ रू0 15/– प्रति कु0
2014–15	2.06	30.94	8240	@ रू0 15/– प्रति कु0
योग :–	**7.68**	**115.32**	**30000**	

ii. **आधार पौधशाला से प्राथमिक पौधशाला अधिष्टापन हेतु यातायात अनुदान :–**

बुवाई वर्ष	वितरित बीज की मात्रा (ला0कु0 में)	कुल आवश्यक धनराशि (ला0रू0 में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या	दर
2011–12	12.00	83.800	52800	@ रू0 7/– प्रति कु0
2012–13	13.2	92.4	52800	@ रू0 7/– प्रति कु0
2013–14	20.628	144.396	82512	@ रू0 7/– प्रति कु0
2014–15	20.628	144.396	82512	@ रू0 7/– प्रति कु0
योग :–	**66.456**	**464.992**	**270624**	

4. प्रदर्शन– नवीनतम फसल उत्पादन प्रोद्योगिकी का व्यवहारिक ज्ञान कृषको को सुलभ कराने हेतु उनके खेतों पर प्रर्दशन का आयोजन अति महत्वपूर्ण कार्यमद है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न छः प्रकार के प्रदर्शन कराये जायेंगे।

i. सम्पूर्ण पैकेज आफर प्रैक्टिसेज पौधा।

ii. पेड़ी प्रबन्धन।

iii. मिश्रित खेती आलू, लाही/ सरसों लहसुन प्याज, गेहूँ, मसूर व धनिया आदि।

iv. एकीकृत पोषण प्रबन्धन।

v. ट्रेन्च विधि से प्रर्दशन।

vi. एकीकृत कीट्स रोग प्रबन्धन (आई0पी0डी0एम0)

प्रदर्शन से बुवाई हेतु उपलब्धता के अनुरूप प्रमाणित बीज का ही प्रयोग किया जायेगा तथा इससे उत्पादित होने वाले बीज को प्रमाणीकरण के पश्चात कृषकों मे वितरित किया जाय। अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से एक कृषक को एक प्रदर्शन स्थापना की सुविधा दी जायेगी। बैठक में विचार– विमर्श के उपरान्त उत्पादन लागत को देखत हुये 15000 प्रति प्रदर्शन (0.5 हे0) के अनुदान की संस्तुति की गयी। अनुदान का 75 प्रतिशत अनुदान उर्वरक, कीटनाशक (Kind) के रूप में बुवाई के समय तथा 25 प्रतिशत Critical Operation जैसे गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, बंधाई, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदर्शन सफल होने के पश्चात चैक द्वारा/ कृषकों के खातों में उपलब्ध करायी जाय। प्रति 200 हे0 गन्ना क्षेत्रफल पर एक प्रदर्शन (0.5 हे0) की स्थापना हेतु निर्णया लिया गया तदानुसार भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकता निम्नवत होगी।

<u>प्रदर्शन हेतु आवश्यक अनुदान वर्ष 2011–12</u>

वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य (हे0मे0)	वित्तीय (ला0रू0में)	लाभान्वित कृषक	दर
2011–12	संख्या	4000	600	9000	@ रू0 15000/– प्रति प्रदर्शन

वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में भौतिक लक्ष्य 11000 प्रदर्शन प्रति वर्ष एवं वित्तीय आवश्यकता 1650 लाख प्रति वर्ष होगी, इस प्रकार 4 वर्ष में योजना हेतु कुल 5550 ला0 अनुदान की आवश्यकता होगी तथा 52000 कृषक लाभान्वित होंगे।

<u>नोट–</u> अनु0जा0/ जनजाति तथा लघु सीमान्त कृषकों के यहां प्रदर्शन क्षेत्रफल 0.200 हे0 तक रखे जा सकते हैं, जिस पर नियमानुसार रूपया 6000 प्रति प्रदर्शन अनुदान देय होगा।

5. <u>कृषि यन्त्र वितरण</u>– गन्ने की फसल कीटों एवं बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इस फसल को कीड़ों एवं बीमारियों से प्रभावी नियंन्त्रण में संस्तुति कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग हेतु कृषि रक्षा यन्त्र अत्यन्त उपयोगी है। साथ ही गन्ने की खेती में प्रयुक्त होने वाले अन्य यन्त्रों की गन्ना उत्पादन में अन्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। निम्नानुसार अनुदान प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया।

i. मानव चलित यन्त्रों (जैसे– स्पेयर, डस्टर व हैडहो आदि) हेतु अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपया 500/ – प्रति यन्त्र।

ii. **पशु चालित यन्त्रों (जैसे– हैरो, कल्टीवेटर व मिट्टी पलटने वाला हल आदि) हेतु** अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपया 2500/ – प्रति यन्त्र।

iii. **शक्ति चालित उन्नतिशील कृषि यन्त्र / ट्रैक्टर चालित यन्त्रं (जैसे– हैरो, कल्टीवेटर व डिस्कप्लाऊ आदि) हेतु** अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपया 1500/ – प्रति यन्त्र देय होगा। बैठक में कृषकों/ चीनी मिल प्रतिनिधियों तथा अन्य अधिकारियों ने पूर्व से प्रचलित कृषि यन्त्रों के अतिरिक्त निम्न यन्त्रों को भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिये, जिस पर सर्व सम्मतिसे तय पाया गया :–

i. R.M.D. (Ratoon management device).

ii. Mechanized trenh planter/Tractor operated paired row planter.

iii. Trench Opener.

iv. F.I.R.B/ planter (Furrow Irrigation Raised Bed)

v. Tractor mounted sprayer/Power sprayer.

vi. Rotavator/Power weecer/Mini Rotavator.

उपरोक्त i से vi तक के यन्त्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 अनुदान देय होगा। कृषि संयन्त्रों पर निम्नवत अनुदान की आवश्यकता होगी।

वर्ष	नाम कृषि सयंत्र	भौतिक लक्ष्य (संख्यामे0)	वित्तीय (ला0रू0में)	लाभान्वित कृषक	दर अधिकतम	विवरण
2011–12	कृषि रक्षा वं सामान्य यंत्र					प्रति चीनी मिल
	(अ) मानवचालित	25000	121.67	25000	@ रू0 500/–	200 यंत्र
	(ब) पशुचालित	6250	157.08	6250	@ रू0 2500/–	50 यंत्र
	उन्नतिशील कृषि यंत्र शक्ति चालित	6250	662.00	6250	@ रू0 15000/–	50 यंत्र
योग :–		**37500**	**940.8**	**37500**	**-**	**300**

भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2011–12 के समान रखते हुये वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 कुल रू0 4875/– लाख अनुदान की आवश्यकता है तथा 1.50 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

6. **<u>माइक्रोन्यूट्रियंट वितरण</u>–** कृषि भूमि पर सघन खेती करने तथा रसायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग करने से भूमि/ मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे – कैल्शियम, मैग्निशियम, जिंक, बोरान, माल्गिडिनम व आयरन आदि सूक्ष्म तत्वों की भारी कमी हो गयी है, जिसके कारण फसलों के मुख्य तत्व एन0पी0के0 की फसलों द्वारा ग्राहयता कम हो गयी है, जिसके कारण गन्ने की पैदावार तथा चीनी

परता में उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है। इसलिये सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग एन0पी0के0 उर्वरकों के साथ किया जाना नितान्त आवश्यक है, प्रति वर्ष बुवाई होने वाले पौधशाला क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत आच्छादन हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की जा रही है।माइक्रोन्यूट्रियंट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 रू0 प्रति हे0 करने की सहमति व्यक्त की गयी है। प्रति वर्ष 2.50 लाख हे0 क्षेत्रफल में योजना चलायी जायेगी। जिससे 4 वर्षों में सम्पूर्ण क्षेत्र अच्छादित हो जाये। भौतिक तथा वित्तीय आवश्यकता निम्नवत होगी :–

वर्ष	आच्छादित गन्ना क्षेत्रफल	वित्तीय (ला0रू0में)	लाभान्वित कृषक	दर
2011–12	1.75	995.42	1250000	50% अथवा अधिकतम रू0 1000/– प्रति हे0

वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में भौतिक लक्ष्य 2.50 ला0हे0 प्रति वर्ष एवं वित्तीय आवश्यकता रू0 1407.50 लाख प्रति वर्ष होगी। इस प्रकार 4 वर्ष में योजना हेतु कुल रू0 5224. 92 ला0 अनुदान की आवश्यकता होगी तथा लगभग 1250000 कृषक लाभान्वित होंगे।

7. **<u>स्वायल टेस्टिंग लैब की स्थापना</u>–** मृदा की उत्पादक क्षमता की पूर्व जानकारी के लिये मृदा परीक्षण अत्यन्त ही आवश्यक है और कृषकों को उनके खेत का हैल्थ कार्ड जिसमें विभिन्न विद्यमान तत्वों क लेखा–जोखा अंकित हो उपलब्ध कराया जाना, उत्पादन लागत कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मद हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि यद्यपि कि कृषि विभाग में मृदा परीक्षण लैब लगभग सभी जनपदों में आवश्यक है परन्तु इसमें स्टाफ की कमी होने के कारण वांछित परीक्षण समय से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत चीनी मिलों में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध रहता है तथा पौधशालाओं हेतु भवन तथा अन्य रसायन उपलब्ध रहते हैं। आंफ सीजन में इन सुविधाओं का प्रयोग मृदा परीक्षण के लिये किया जा सकता है। कृषि विभाग में स्थापित पौधशालाओं की अपेक्षा चीनी मिल में स्थापित पौधशालायें अधिक सुविधा सम्पन्न तथा अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित होती हैं, जिसके कारण कृषकों को आसानी से सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है, कि प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला संचालित की जाय और उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान उपलब्ध कराया जाय और उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान उपलब्ध कराया जाय। बैठक में उपस्थित उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद के निदेशक तथा अन्य अधिकारीगण एवं कृषि निदेशालय, भारत सरकार के निदेशक तथा संयुक्त निदेशक ने अवगत कराया कि मृदा परीक्षण प्रयोग पौधशाला की स्थापना में लगभग 40

लाख रू0 प्रारम्भिक व्यय अनुमानित है। उक्त के सापेक्ष में रू0 20 लाख प्रतिप्रयोगशाला स्थापना हेतु अनुदान चीनी मिल को उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया। (विस्तृत विवरण संलग्न है)

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रथम वर्ष में 15 चीनी मिलों में प्रयोगशाला की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकतम रू0 20.00 लाख कुल रू0 300 लाख की आवश्यकत होगी।

मृदा परीक्षण रिपोर्ट हेतु कृषकों से रू0 7/– प्रति सैम्पुल (एन0पी0के0) कृषि विभाग से समान शुल्क प्राप्त किया जाय।

8. **प्रशिक्षण–** यह योजना गन्ना किसान संस्थान द्वारा संचालित की जाती है :–

(अ)– राज्य स्तरीय प्रशिक्षण :– गन्ना किसान संस्थान, मुख्यालय पर आयोजित किया जाता है। 30 प्रतिभागियों को जिसमें विभागीय/ चीनी मिल स्टाफ को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें अनुदान की धनराशि रू0 20000/– प्रति प्रशिक्षण किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

(ब)– कृषक प्रशिक्षण :– वर्तमान में 100 कृषकों को 1 दिन का प्रशिक्षण होगा, जिस पर रू0 12500/– प्रशिक्षण सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण में व्यय निम्न निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

1.	वैज्ञानिक का मानदेय @ रू0 500/– 03 वैज्ञानिकों के लिये	रू0 1500
2.	भोजन/ चाय @ रू0 60/–	रू0 6000
3.	वीडिओग्राफी @ रू0 500/–	रू0 500
4	कलम पैड अदि @ रू0 15/–	रू0 1500
5.	आकस्मितता व्यय @ रू0 500/–	रू0 500
6.	कुर्सी टेन्ट व माइक व्यय	रू0 2500
	योग :– (रू0 बारह हजार पांच सौ)	**रू0 12500**

प्रस्तावित कुल अनुदान (वर्ष 2011–12) :–

क्र0 सं0	प्रशिक्षण	कुल प्रशिक्षण (संख्या)	वित्तीय (ला0रू0में)	लाभान्वित कृषक	अनुदान की धनराशि
1	राज्य	33	6.67	-	रू0 20000 प्रति प्रशिक्षण
2	कृषक	80	10.42	8000	रू0 12500 प्रति प्रशिक्षण
योग :–		**113**	**17.09**	**8000**	

प्रथम वर्ष 2011–12 के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य में बढ़ौत्तरी करते हुये वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 हेतु कुल प्रशिक्षण 350 प्रति वर्ष एवं वित्तीय आवश्यकता रू0 51.25 लाख प्रति वर्ष होगी तथा 4 वर्षीय योजना में कुल रू0 170.84 लाख अनुदान की आवश्यकता होगी, जिससे लगभग 1.16 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

9. <u>प्रचार–प्रसार</u>–

(अ)– <u>जिला स्तरीय गन्ना किसान मेला</u> :– शरदकालीन तथा बसन्तकालीन बुवाई से पूर्व जनपद में किसी सार्वजनिक स्थल/ चीनी मिल गेट पर गन्ना कृषकों को प्रोत्साहित तथा शिक्षित करने हेतु वर्ष में 02 बार कृषक मेले का आयोजन किया जायेगा। यथासम्भव मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारियों/ मण्डलायुक्त द्वारा कराया जाय। जिसमें कुल व्यय रू0 100000/– प्रति मेला अनुदान की संस्तुति की जाती है। उक्त मेले में कृषकों में जागरूकता प्रदान करने हेतु ट्रेनिंग प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी, कृषि यन्त्रों का प्रदर्शन व साहित्य वितरण आदि कार्यक्रम सम्पादित कराये जांय। वर्ष में 20 मेले आयोजित किये जायेंगे, जिस पर रू0 20.00 लाख प्राविधान किया गया है, जिसमें 1.00 लाख लोगो को लाभान्वित होने की सम्भावना है। योजनाकाल 4 वर्षों में 240 लाख की आवश्यकता होगी। योजना के प्रथम वर्ष में प्रस्तावित 20 किसान मेंलों के आयोजन हेतु रू0 20 लाख की आवश्यकता है।

(ब)– <u>आकाशवाणी दूरदर्शन पर स्पट कार्यक्रम</u>–मुख्यालय स्तर पर लखनऊ के कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय समाचारों के समय प्रशारण वाली अवधि में इसका प्रशारण कराया जायेगा। आकाशवाणी के लिये 50 स्पांट कार्यक्रमों के लिये रू0 8.00 लाख की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार दूरदर्शन के क्षेत्रीय समाचार कार्यक्रमों के कृषि दर्शन के दौरान 25 स्पाट रखे जायेंगे, जिसके लिये रू0 6.00 लाख की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष में रू0 14.00 लाख प्राविधान प्रस्तावित है। योजना के 4 वर्षों हेतु रू0 48.00 लाख की आवश्यकता होगी। भौतिक लक्ष्य समान रहेगा। योजना के प्रथम वर्ष कुल 25 कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये अंकन 4.67 लाख रू0 की आवश्यकता होगी।

(स)– <u>उत्पादकता पुरस्कार</u>– कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु जिला स्तर पर मण्डल/ परिक्षेत्र स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की धनराशि निम्न प्रकार निर्धारित करने हेतु सुझाव प्राप्त हुये :–

<u>प्रथम वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्ताव</u>

वित्तीय आंकड़ें (ला0रू0 में)

क्र0 सं0	विवरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सांत्वना पुरस्कार	योग	कुल संख्या	कुल धनराशि
1	**मण्डल**	0.250	0.150	0.125	0.050	0.575	36	5.175
2	**राज्य स्तर**	0.500	0.350	0.250	0.110	1.210	4	1.210
योग :–							**40**	**6.385**

योजना के आगामी वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 हेतु प्रत्येक गन्ना उत्पादक जनपद स्तर पर भी उक्तानुसार पुरस्कार (प्रथम– 0.15, द्वितीय– 0.10, तृतीय– 0.075 एवं सांत्वना– 0.04 लाख रू0) प्रतिवर्ष प्रस्तावित है। आगामी तीन वर्षों के लिये भौतिक लक्ष्य (204 पुरस्कार प्रतिवर्ष) हेतु रू0 44.89 लाख की आवश्यकता होगी। इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल 244 पुरस्कार हेतु 51.235 लाख की मांग है।

10. **<u>संचालन/ पर्यवेक्षण तथा कर्मियों को प्रोत्साहन</u>–** जिला स्तर, मण्डल/ क्षेत्र तथा राज्य स्तर पर कर्मचारियों/ अधिकारियों को बीज वितरण, पौधशाला/ प्रदर्शन स्थापन तथा अन्य कार्यो में उल्लेखनीय योगदान के लिये पुरस्कृत करने का प्रस्ताव है, जिसमें विभिन्न स्तरीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले 714 कर्मियों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करते हुये रू0 31.20 लाख का पर्यवेक्षण एवं आकस्मिकता हेतु रू0 7.00 लाख की आवश्यकता है।

अधिकारियों/ कर्मचारियों को (R.KV.Y.) में		प्रोत्साहन राशि– कुल जोन पुरस्कार
1.	गन्ना पर्यवेक्षक (ग्राम स्तरीय कर्मचारी)	प्रथम 3000
	(प्रत्येक गन्ना विकास परिषद स्तर पर)	द्वितीय 2000
		तृतीय 1000
		6000
2.	गन्ना विकास निरीक्षक	प्रथम 5000
	(जनपद स्तर पर)	द्वितीय 4000
		तृतीय 3000
		12000
3.	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	प्रथम 10000
	(जनपद स्तर पर)	द्वितीय 7500
		तृतीय 5000
		22500

4.	जिला गन्ना अधिकारी	प्रथम		25000
	(मण्डल स्तर पर)	द्वितीय		20000
		तृतीय		15000
				60000
5.	उप गन्ना आयुक्त	प्रथम		50000
	(राज्य स्तर पर)	द्वितीय		40000
		तृतीय		30000
				120000

i	कुल जोन/ परिषद–	141 x 6000	=	846000
ii	कुल जनपद – **C.D.I.**	41 x 12000	=	492000
iii	कुल जनपद – **S.C.D.I.**	41 x 22500	=	1122500
iv	कुल मण्डल – (9)	9 x 60000	=	540000
v	राज्य स्तर–		=	120000
				3120500

<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्षवार बजट की आवश्यकता (ला0रू0)</u>

वर्ष याजनाओं का विवरण	शोध केन्द्र की याजनाओं हेतु अनुदान (ला0रू0)	आधार पौधशाला		प्राथमिक पौधशाला		बीज यातायात		प्रदर्शन		कृषि यंत्र वितरण		माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण	
		भौतिक (ला0कु0)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (ला0कु0)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (ला0कु0)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (ला0हे0)	वित्तीय (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011–12	199.47	12.000	600.00	0.000	0.00	13.50	106.30	4000	600.00	37500	940.75	1.75	1002.42
2012–13	249.76	20.628	1031.40	206.280	5157.00	15.26	123.34	11000	1650.00	37500	1218.75	2.50	1407.50
2013–14	249.76	20.628	1031.40	206.280	5157.00	22.69	175.34	11000	1650.00	37500	1218.75	2.50	1407.50
2014–15	249.76	20.628	1031.40	206.280	5157.00	22.69	175.34	11000	1650.00	37500	1218.75	2.50	1407.50
योग :–	**948.75**	**73.884**	**3694.20**	**618.840**	**15471.00**	**74.14**	**580.32**	**37000**	**5550.00**	**150000**	**4597.00**	**9.25**	**5224.92**

स्वायल टेस्टिंग लैब		प्रशिक्षण		प्रचार–प्रसार (मेला, आकाशवाणी/ दूरदर्शन,उत्पादकता एवं उत्कृष्ठ कार्य पुरस्कार)		योग वित्तीय (ला0रू0)
भौतिक (संख्या)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (ला0रू0)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय(ला0रू0)	
15	16	17	18	19	20	21
15	300.00	113	17.09	810	62.250	3828.28
25	500.00	350	51.25	1002	139.350	11528.35
25	500.00	350	51.25	1002	139.350	11580.35
25	500.00	350	51.25	1002	139.350	11580.35
90	**1800.00**	**1163**	**170.84**	**3816**	**480.300**	**38517.33**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में धनराशि के उपयोग के लिये दिशा निर्देश

''गन्ना शोध परिषद द्वारा संचालित योजनायें''

1– अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

(अ) कृषकों/ संस्था का चयन

i. यू0पी0सी0एस0आर0 द्वारा गन्ना शोध केन्द्रों के फार्म।

ii. उन्नतिशील/ साक्षर/ साधन सम्पन्न कृषकों का चयन किया जायेगा।

iii. किसानों के खेतों का चयन शोध केन्द्रों के निकट ग्रामों क्लस्टर (समूह) के रूप में किया जायेगा।

(ब) रख–रखाव/ पर्यवेक्षण

i. अभिजनक बीज उत्पादन फील्ड पर बोर्ड लगेगा, जिसे गन्ना शोध परिषद/ केन्द्र द्वारा स्थापित किया जायेगा।

ii. वैज्ञानिकों की टीम द्वारा सतत निरीक्षण किया जायेगा।

iii. कृषकों के परिक्षेत्र पर अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन के बीज प्रमाणीकरण के लिये एक टीम गठित की जायेगी, जिसमें एक ब्रीडर, पैथोलोजिस्ट एवं इन्टोनोलीजिस्ट के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी रखे जायेंगे। इस प्रकार पश्चिमी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये अलग–अलग कुल तीन टीमें गठित की जायेंगी। यदि वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं हुये तो संविदा आधार पर वैज्ञानिक रखे जायेंगे ताकि बीज गन्ना गुणवत्ता को मानक के अनुरूप बनाये रखा जाय।

iv. सम्बन्धित मण्डल के उप गन्ना आयुक्त/ संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा प्रति माह तथा गन्ना आयुक्त के स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

v. अभिजनक बीज उत्पादक कृषकों की सूची गन्ना शोध परिषद तथा गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी जिसका दायित्व निदेशक, गन्ना शोध परिषद का होगा।

vi. कुल अभिजनक बीज गन्ना क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत अभिजनक बीज गन्ना पौधशालायें शरदकाल एवं 75 प्रतिशत पौधशालायें बसन्तकाल में स्थापित की जायेंगी।

vii. पौधशाला धारकों को अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य वर्ष मे दो बार पौधशाला धारकों का उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर पर पोधशालाओं के रख–रखाव के लिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(स) अनुदान भुगतान प्रक्रिया

i. बीज प्रमाणीकरण उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के आवंटन अनुसार बीज वितरण पर 100 रू0 प्रति कुन्टल की दर से कृषक/ संस्था को एकाउन्ट पेयी चैक/ एडवान्स के माध्यम से धनराशि देय होगी।

ii. जनपद की औसत उपज के आधार पर देय अनुदान का 50 प्रतिशत पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि हेतु दिया जायेगा। शेष बीज वितरण होने पर देय होगा।

''गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें''

1– आधार पौधशाला अधिष्ठापन–

(अ) कृषकों का चयन

i. साक्षर/ साधन सम्पन्न/ प्रगतिशील/ नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता समिति सदस्य हो।

ii. चीनी मिल के गेट/ गन्ना विकास के ग्रामों मे सड़क के किनारे स्थित प्लाट।

iii. प्रति कृषक को अधिकतम 25 कु0 अभिजनक गन्ना बीज पोधशाला स्थापित करने हेतु देय होगा।

iv. अनुसूचित जाति/ जनजाति के 21 प्रतिशत भागीदारी होगी।

v. एक समिति सदस्य के यहां अधिकतम 2 वर्ष तक पौधशाला रखी जायेगी।

vi. कृषकों के चयन के लिये इस वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले कृषकों को ही चयनित किया जायेगा।

vii. कृषकों की बाध्यता होगी कि वे बीज का वितरण अनिवार्य रूप से करेंगे यदि पूर्व में किसी योजनान्तर्गत सम्बन्धित प्लाट पर अनुदान दिया गया हो तो उसी समायोजन के पश्चात ही इस योजना के अन्तर्गत अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

viii. लाभार्थियों का चयन चीनी मिल, विभागीय अधिकारी तथा गन्ना विकास परिषद द्वारा किया जायेगा व अनुमोदन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ब) रख–रखाव/ पर्यवेक्षण

i. पौधशाला का निरीक्षण निम्नानुसार निरीक्षण पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा निरीक्षण टिप्पणी सर्वसम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी :–

गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा	पक्ष में एक बार
ब्लाक प्रभारी द्वारा	माह में एक बार
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा	दो माह में एक बार
जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा	वर्ष में तीन बार
क्षेत्रीय उप/ संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा	परिक्षेत्र में स्थापित कुल आधार पौधशाला का 10 प्रतिशत

ii. **आधारीय बीज का प्रमाणीकरणः–** बीज उत्पादन अधिकारी/ जिला गन्ना अधिकारी द्वारा बुवाई प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व किया जायेगा।

iii. आधार पौधशाला क्षेत्र पर बोर्ड (3.0 x 2.0 वर्ग फिट) लगाया जायेगा, जिसका व्यय कान्टिनजेन्सी/ गन्ना विकास परिषद के बजट से किया जायेगा। बोर्ड पर निम्न सूचनाओं का उल्लेख किया जायेगा :–

1. योजना का नाम व वर्ष
2. नाम गन्ना विका परिषद
3. पौधशाला का प्रकार
4. नाम पौधशाला धारक
5. नाम गन्ना प्रजाति
6. बुवाई की तिथि

(स) अनुदान प्रकिया :–

i. पौधशाला धारक को बीज वितरण पर रू0 50 प्रति कुन्टल अधिकतम 12500 रू0 अनुदान देय होगा।
ii. अनुदान बीज वितरण एवं प्रमाणीकरण के उपरान्त किया जायेगा।
iii. यदि पौधशाला धारक द्वारा उत्पादित गन्ना बीज का वितरण विभागीय नियमानुसार नहीं किया जाता है तो दिये गये अनुदान की एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।
iv. पौधशाला धारकों की सूची विभागीय व चीनी मिल वेबसाइट पर डाली जायेगी।

2– प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन

(अ) कृषकों का चयन

i. साक्षर/ साधन सम्पन्न/ प्रगतिशील/ नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता समिति सदस्य हों।
ii. चीनी मिल क्षेत्र के ग्रामों में सड़क के किनारे स्थित प्लाट।
iii. प्रति कृषक को अधिकतम 50 कुन्टल आधारीय गन्ना बीज पौधशाला स्थापित करने हेतु देय होगा।
iv. अनुसूचित जाति/ जनजाति की 21 प्रतिशत भागीदारी होगी।
v. एक समिति सदस्य के यहां अधिकतम 2 वर्ष तक पौधशाला रखी जायेगी।
vi. पौधशाला के कृषकों का चयन सम्बन्धित ज्ये0ग0वि0निरीक्षक एवं चीनी मिल द्वारा संयुक्त रूप से शरदकालीन बुवाई हेतु 15 सितम्बर तथा बसन्तकालीन बुवाई हेतु 15 जनवरी तक करकें परिषद बोर्ड से प्रस्तावित कराके अन्तिम चयन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ब) रख–रखाव/ पर्यवेक्षण

i. पौधशाला का निरीक्षण नियमानुसार निरीक्षण पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा निरीक्षण टिप्पणी सर्वसम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी :–

गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा	पक्ष में एक बार
ब्लाक प्रभारी द्वारा	माह में एक बार
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा	दो माह में एक बार
जिला गन्ना अधिकारी	जिले में स्थापित कुल प्राथमिक पौधशाला का 10 प्रतिशत

ii. प्राथमिक बीज का प्रमाणीकरणः– ज्ये0ग0वि0 निरीक्षक द्वारा बुवाई प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व किया जायेगा।
ii. प्राथमिक पौधशाला प्लाट पर बोर्ड लगाया जायेगा, जिसका व्यय कान्टिनजेन्सी/ गन्ना विकास परिषद के बजट से किया जायेगा।

(स) अनुदान भुगतान प्रकिया

i. पौधशाला धारक को बीज वितरण पर 25 रू0 प्रति कु0 अधिकतम 12500.00 रू0 अनुदान देय होगा।
ii. पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश (यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि) के रूप में जिले की औशत उपज को आधार मानकर देय अनुदान का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा शेष अनुदान बीज वितरण पूर्ण होने पर एकाउन्ट पेयी चैक/ एडवान्स के माध्यम से देय होगा।
iii. अनुदान का भुगतान प्रमाणीकरण के पश्चात किया जायेगा।
iv. यदि पौधशाला धारक द्वारा उत्पादित गन्ना बीज का वितरण विभागीय नियमानुसार नहीं किया जाता है तो दिये गये अनुदान की एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।
v. पौधशाला धारकों की सूची विभागीय व चीनी मिल वेबसाइट पर डाली जायेगी।

बीज गन्ना प्रक्षेत्र का निरीक्षण (Field Inspection)
(दोनो प्रकार की पौधशालाओं के लिये)

स्टेज प्रथम :– पंजीकरण के तत्काल पश्चात।

स्टेज द्वितीय :– बीज गन्ना बुवाई के 120–130 दिन बाद। इस निरीक्षण के समय विजातीय पौधे (Offtyupes), प्रमुख बीमारियों, कीटों के प्रकोप एवं अन्य कारकों पर ध्यान दिया जायेगा।

स्टेज तृतीय :– बीज गन्ना फसल कटाई के 15 दिन पूर्व। इस निरीक्षण के समय बज गन्ने की अवधि, विजातीय पौधे (Offtyupes), प्रमुख बीमारियों, कीटों के प्रकोप एवं अन्य कारकों पर ध्यान दिया जायेगा।

आधारीय एवं प्राथमिक बीज गन्ने का प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण के समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा :–

1. बीज गन्ना फसल (Seed Cane Crop) कटाई के समय फसल की अवधि यथासम्भव 08 से 10 महीना होना चाहिये।
2. बीज गन्ना के प्रत्येग कॉठ (Node) में स्थस्थ आंख (Bud) होना चाहिये। ऐसी गॉठें जिन पर स्वस्थ ऑख का अभाव हो 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।
3. बीज गन्ने की ऑखों में जड़ें विकसित नहीं होना चाहिये। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

बीज गन्ना में कम से कम 65 प्रतिशत नमी होना चाहिये।

प्रमाणीकरण के विशिष्ट मानक

क्र0 सं0	कारक	फील्ड इंस्पेक्शन का स्टेज	अधिकतम अनुमन्य सीमा (प्रतिशत में)	
			आधार	प्राथमिक
1	2	3	4	5
1	अनुवांशिक शुद्धता		100	100
2	भौतिक शुद्धता		98	98
3	ऑख जमाव क्षमता		कम से कम 85	कम से कम 85
4	प्रमुख रोग			
	काना (Red Rot)	I, II, III	कुछ नहीं (None)	कुछ नहीं (None)
	कण्डुआ (Smut)	I	0.02	0.10
		II	0.01	0.10
		III	कुछ नहीं (None)	कुछ नहीं (None)
	उकठा (Wilt)	III	0.01	0.01
	जी0एस0डी0 (Grassy shoot)	II	0.05	0.05
		III	कुछ नहीं (None)	कुछ नहीं (None)
	लीफ स्काल्ड (Leaf Scald)	II	0.01	0.05
		III	कुछ नहीं (None)	कुछ नहीं (None)
5	प्रमुख कीट			
	चोटी वेधक (Top borer)	II & III	5.0	5.0
	शल्क कीट (Scale Insect)	III	5.0	5.0
	तना वेधक (Stalk borer)	III	20.0	20.0
	गुरदासपुर वेधक (Gurdaspur borer)	III	5.0	5.0
	मील बग (Mealy bug)	III	5.0	5.0

	इण्टर नोड बोरर (Internode borer)	III	10.0	10.0

उपरोक्त मानकों के अनुसार बीज के प्रमाणीकर हेतु निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत होंगे :–

क0सं0	**पौधशाला का नाम**	**प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत अधिकारी**
1.	आधार पौधशाला	जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी
2.	प्राथमिक पौधशाला	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हेतु ग्रामवार/ कृषकवार पौधशालावार तिथियां निर्धारित की जायेंगी तथा उसकी सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सम्बन्धित गन्ना कृषक, सम्बन्धित चीनी मिल, जिला गन्ना अधिकारी एवं उप/ संयुक्त गन्ना आयुक्त को दी जायेगी। प्रमाणीकरण के समय सम्बन्धित गन्ना कृषक के हस्ताक्षर कराये जायेंगे तथा प्रमाणीकरण अधिकारी स्वयं भी हस्ताक्षर करेंगे, जो पौधशाला उप मानकों के अनुसार न हो उसका प्रमाणीकरण नहीं किया जायेगा।

3– बीज यातायात :–

i. शोध केन्द्र/ कृषकों के फार्म पर उत्पादित अभिजनक बीज के यातायात हेतु क्रेता आधार पौधशाला धारक अथवा गन्ना विकास परिषद को 15 रू0 प्रति कुन्टल अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो तथा आधारीय बीज के यातायात हेतु क्रेता प्राथमिक पौधशाला धारक को 7 रू0 प्रति कुन्टल अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो यातायात अनुदान देय होगा।

ii. यातयात अनुदान की धनराशि क्रेता कृषक/ गन्ना विकास परिषद को गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के बीज वितरण प्रमाण पत्र के उपरान्त जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से चैक/ एडवाइस के माध्यम से देय होगा।

iii. अभिजनक एवं आधारीय बीज का सीड मूवमेन्ट प्लान शरदकालीन बुवाई हेतु 15 सितम्बर तक एवं बसंतकालीन बुवाई हेतु 15 जनवरी तक तैयार किया जायेगा।

4– कृषि यन्त्रों पर अनुदान

i. मानव चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान देय होगा।

ii. पशु चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2500 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान देय होगा।

iii. शक्ति चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30000 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान देय होगा।

iv. मानव चालित यन्त्रों में स्प्रेयर, डस्टर, हैंडहो, पशुचालित यन्त्रों में हैरो, कल्टीवेटर, मिट्टी पलटने वाला यन्त्र, शक्ति चालित यन्त्रों में हैरो, कल्टीवेटर, डिस्क, पलाव आदि यन्त्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आर0एम0डी0 (रैटून मैनेजमेंन्ट डिवाइस) ट्रेन्च ओपनर, एफ0आई0आर0बी0 पावर स्प्रेयर, रोटावेटर एवं गन्ने की खेती में प्रयुक्त होने वाले अन्य यन्त्र भी वितरित किये जा सकते हैं।

v. यन्त्र आई0एस0आई/ आई0आई0एस0आर0, लखनऊ/ यू0पी0सी0एस0आर, शाहजहांपुर/ कृषि विभाग, उ0प्र0/ राज्य में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के अभियंत्रिकी विभाग तथा F M T T I, भारत सरकार से प्रमाणित होना चाहिये।

(अ) कृषक चयन का आधार

i. गन्ना समिति का सदस्य हो।

ii. नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता हो।

iii. यन्त्र क्रय हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया गया हो। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट– 01 संलग्न है।

iv. महिला एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाये।

(ब) अनुदान भुगतान प्रक्रिया

i. यन्त्रों पर देय अनुदान का का भुगतान उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा तथा उसी दर के अनुसार अनुदान देय होगा।

ii. जो यन्त्र दर अनुबन्ध पर उपलब्ध नहीं है उन्हें यू0पी0एग्रो/ यू0पी0एस0आई0सी से क्रय किया जायेगा। इन संस्थाओं से अनुपलब्धता की स्थिति में निर्माता कम्पनियों के टेन्डर मण्लायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कराकर रेट अन्तिम किये जायेंगे। तत्पश्चात यन्त्र की खरीद कृषकों की मांग पर गन्ना समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार की जायेगी तथा अनुदान की धनराशि का समायोजन करते हुये कृषकों का यन्त्र का वितरण कराया जायेगा।

iii. कृषकों का चयन गन्ना समिति द्वारा किया जायेगा।

iv. टेन्डर कमेटी निम्न प्रकार होगी :–

मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
संयुक्त/ उप गन्ना आयुक्त	सदस्य/ सचिव
मंडल के दो जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य
उद्योग विभाग के मण्डलीय अधिकारी	सदस्य
एग्रो के मण्डलीय अभियन्ता	सदस्य

v. अनुदान का भुगतान सत्यापन के पश्चात जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

vi. यन्त्र आपूर्ति हेतु संस्तुति करते समय जिला गन्ना अधिकारी इस आशय की सुस्पस्ट आख्या देंगे कि लाभान्वित संस्था के पास उक्त मद में अनुदान की धनराशि उपलब्धहै, जिसके उपयोग हेतु यन्त्रों के क्रय हेत संलग्न विवरणानुसार समिति प्रस्ताव सहित संस्तुति की जाती है। उक्त संस्तुति के क्रम में क्षेत्रीय उप/ संयुक्त गन्ना आयुक्त की नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा यन्त्रों का क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा।

5– क्षेत्र प्रदर्शन

(अ) कृषक चयन का आधार

i. साक्षर/ साधन सम्पन्न/ प्रगतिशील/ नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता समिति सदस्य हो।

ii. गन्ना समिति का पुराना बकायादार न हो।

iii. अनुसूचित जाति/ जनजाति की 21 प्रतिशत भागीदारी होगी।

iv. एक समिति सदस्य के परिवार में एक ह प्रदर्शन स्थापित कराया जायेगा जिसे प्रतिवर्ष बदल दिया जायेगा।

v. प्रदर्शन कलस्टर के रूप में स्थापित किये जायेंगे।

vi. प्रदर्शन यथासम्भव सड़क के किनारे स्थापित कराये जायेंगे ताकि इनको देखकर अन्य कृषक प्रेरणा लें सके।

vii. इस योजना में प्रतिभग करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन किया जायेगा। इस योजना में मानक पूर्ण करने वाले कृषकों को ही पंजीकृत किया जायेगा। गन्ना प्रदर्शन प्लाट पर पूर्व में दिये गये अनुदान की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् इस योजना से अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

viii. चयन चीनी मिल, गन्ना विकास परिषद तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ब) अनुदान भुगतान की प्रक्रिया

i. प्रदर्शन का क्षेत्रफल 0.500 हे0 होगा।

ii. अनुसूचित जाति/ जनजाति के यहां 0.200 हे0 पर भी प्रदर्शन स्थापित कराया जा सकता है।

iii. 0.500 हे0 के प्रदर्शन पर 5000.00 रू0 अनुसूचित जाति/ जनजाति के 0.200 हे0 प्रदर्शन पर 6000.00 रू0 का अनुदान देय होगा।

iv. प्रदर्शन के अनुदान का 50 प्रतिशत पंजीकरण के तुरन्त बाद शेष 50 प्रतिशत धनराशि प्रदर्शन सफल होने बाद देय होगा।

v. प्रदर्शन का गन्ना फसल कटाई प्रयोग निश्चित रूप से कराया जायेगा तथा जनपद की औसत उपज से प्रदर्शन प्लाट की कम से कम 25 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होने पर ही शेष अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। यदि उपरोक्तानुसार प्रदर्शन की उपज प्राप्त नपीं होती है तो दिये गये अनुदान की धनराशि प्रदर्शन धारक से एकमुश्त वसूल कर ली जायेगी।

vi. अनुदान की धनराशि एकउन्ट पेई चैक/ एडवाइज के द्वारा देय होगी।

vii. प्रदर्शन धारकों की सूची विभागीय व चीनी मिल वेबसाइट पर डाली जायेगी।

(स) रख–रखाव/ पर्यवेक्षण

i. इस योजना अन्तर्गत निम्न प्रदर्शन स्थापित कराये जायेग।
   (अ) सम्पूर्ण पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज पौधा
   (ब) पेड़ी प्रदर्शन द्वितीय एवं तृतीय
   (स) मिश्रित खेती
   (द) एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन
   (य) ट्रैनच विधि से प्रदर्शन
   (र) एकीकृत की रोग प्रबन्धन
   (ल) गन्ना प्रजातीय प्रदर्शन

ii. प्रदर्शन की बुवाई में स्वीकृत प्रजाति के प्रमाणीकृत बीज का प्रयोग किया जायेगा तथा उत्पादित बीज (पेड़ी को छोड़कर) को प्रमाणीकरण्ण उपरान्त कृषकों में बुवाई हेतु वितरित किया जा सकता है।

iii. प्रदर्शन का निरीक्षण निम्नानुसार निरीक्षण पंजिका पर किया जायेगा।

गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा	पक्ष में एक बार
ब्लाक प्रभारी द्वारा	माह में एक बार
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा	दो माह में एक बार
जिला गन्ना अधिकारी द्वारा	वर्ष में दो बार
क्षेत्रीय उप/ संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा	परिक्षेत्र में स्थापित कुल प्रदर्शन का 10 प्रतिशत

iv. ब्लाक प्रभारी/ ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के द्वारा कीट व रोग की रोकथाम हेतु सुझाव प्रदर्शन पंजिका में अंकित किये जायेंगे।

v. प्रदर्शन प्लाट पर बोर्ड (3.0 x 2.0 वर्ग फिट) लगाया जायेगा, जिसका व्यय कान्टिनजेन्सी/ गन्ना विकास परिषद के बजट से किया जायेगा। बोर्ड पर निम्न सूचनाओं का उल्लेख किया जायेगा :–

1. योजना का नाम व वर्ष
2. नाम गन्ना विकास परिषद
3. प्रदर्शन का प्रकार
4. नाम प्रदर्शन धारक
5. नाम गन्ना प्रजाति
6. बुवाई की तिथि

6– सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रोन्यूट्रियन्ट) वितरण

i. सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति हेतु माइक्रोन्यूट्रियन्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 रू0 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय होगा।

ii. माइक्रोन्यूट्रियन्ट उद्योग निदेशक के दर अनुबन्ध, यू0पी0 एग्रो/ उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कृषि निदेशक की अनुबन्ध दर पर, गन्ना समितियों के गोदामों पर आपूर्ति कराया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा माइक्रोन्यूट्रियन्ट की सैम्पलिंग की जायेगी सैम्पुल/ नमूना री राम लैबोरेट्री, नई दिल्ली/ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लैबोरेट्री में परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। परीक्षणोपरान्त प्राप्त मानक परिणाम के अनुसार किसानों में वितरण कराया जायेगा। वितरण उन्हीं कृषकों को किया जायेगा जिसकी संस्तुति संबंधित गन्ना विकास परिषद द्वारा किया जायेगा।

iii. अनुदान की धनराशि माइक्रोन्यूट्रियन्ट के वितरण के समय ही दी जायेगी।

7– मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (Soil Testing Lab) की स्थापना

i. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराने हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20.00 ला0रू0 का अनुदान चीनी मिल को देय होगा।

ii. प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवश्यक संयत्रों की खरीद पर ही अनुदान देय होगा।

iii. मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त द्वितीयक पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की जॉच की व्यवस्था की जायेगी।

iv. भवन, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री चीनी मिल निःशुल्क उपलब्ध करायेगी, जो इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

v. मृदा परीक्षण कराने वाले कृषकों से मुख्य पोषक तत्व (एन0पी0के0) द्वितीय पोषक तत्व + सूक्ष्म पोषक तत्व कृषि विभाग द्वारा प्रचलित दरों के अनुसारदेय होगी।

vi. गन्ना समिति/ परिषद की आर्थिक स्थिति के अनुसार समन्धित प्रबन्धकमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले मृदा परीक्षण शुल्क को सम्बन्धित संस्थायें वहन कर सकती हैं।

vii. चीनी मिल से यह अनुबन्ध कराया जायेगा कि भविष्य में विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उनके द्वारा मृदा परीक्षण किया जायेगा तथा प्रयोगशालायें संचालित रखी जायेंगी। विभागीय निर्देशों का पालन न करने पर अनुदान की धनराशि भू–राजस्व की भॉति वसूली की जायेगी। परीक्षणोंपरान्त उनके द्वारा कृषकों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराया जायेगा।

viii. अनुदान दिये जाने से पूर्व भुगतान की संस्तुति निदेशक, शोध परिषद, अपर गन्ना आयुक्त (विकास) तथा सहकारी चीनी मिलों के मुख्य रसायनज्ञ, जिला गन्ना अधिकारी तथा उप निदेशक कृषि की कमेटी द्वारा प्रयोगशाला के निरीक्षण के पश्चात किया जायेगा।

8— प्रशिक्षण

(अ) राज्य स्तरीय—

i. प्रदेश मुख्यालय पर स्थापित गन्ना किसान संस्थान के द्वार तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जायेगा।

ii. इस सत्र में तीस विभागीय/ चीनी मिल प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

iii. रू0 20000.00 प्रति प्रशिक्षण सत्र अनुदान गन्ना किसान संस्थान को देय होगा।

(ब)— <u>कृषक प्रशिक्षण</u> :—

i. क्षेत्रीय गन्ना किसान संस्थान के द्वारा 100 कृषकों को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ii. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण का वार्षिक रोस्टर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षकों एवं चीनी मिलों की संयुक्त बैठक में तैयार कर सर्वसम्बन्धित को प्रेषित किया जायेगा।

iii. प्रति प्रशिक्षण 12500 रू0 का अनुदान गन्ना किसान संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

iv. प्रशिक्षण में व्यय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जायेगा।

1.	वैज्ञानिकों का मानदेय @ रू0 500/— 03 वैज्ञानिकों के लिये	रू0 1500
2.	भोजन/ चाय @ रू0 55/—	रू0 5500
3.	वीडिओग्राफी @ रू0 500/—	रू0 500
4	स्टेशनरी @ रू0 15/—	रू0 1500
5.	आकस्मिक व्यय @ रू0 500/—	रू0 500
6.	कुर्सी टेन्ट व माइक व्यय	रू0 3000
	योग :—	**रू0 12500**

(रू0 बारह हजार पांच सौ)

v. उपरोक्त अनुदान की धनराशि का समायोजन सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त प्रमाण के आधार पर दिया जायेगा।

vi. वीडियोग्राफी की सी0डी0 की एक—एक प्रति मुख्य प्रचार अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक निदेशक का होगा।

9— प्रचार—प्रसार :—

(अ) जिला स्तरीय गन्ना किसान मेला :—

1. शरदकालीन तथा बसन्तकालीन बुवाई से पूर्व जिले में चीनी मिल गेट/ सार्वजनिक स्थल पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जायेगा, स्थल एवं तिथि का निर्धारिण जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. मेले में कृषकों को शिक्षित करने हेतु वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जायेगा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों/ यन्त्रों का प्रदर्शन एवं कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु साहित्य का वितरण किया जायेगा।
3. प्रति मेला रू0 100000.00 का अनुदान देय होगा।
4. मेले के आयोजन की वीडियोग्राफी सी0डी0 की एक—एक प्रति मुख्य प्रचार अधिकारी व क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी का होगा।

(ब) आकाशवाणी व दूरदर्शन :— मुख्यालय स्तर पर मुख्य प्रचार अधिकारी लखनऊ के स्तर से सपाट कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे। इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग गन्ना आयुक्त के अनुमादन उपरान्त सम्बन्धित संस्था को देय होगा।

(स) उत्पादकता पुरस्कार :—

1— कृषकों को जिला मण्डल/ परिक्षेत्र, राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिये जायेंगे।

2— प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार की धनराशि निम्न प्रकार है :—

क्र0सं0	स्तर	पुरस्कार की धनराशि (रू0)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	जिला	15000.00	10000.00	7500.00	32500.00
2	मण्डल	25000.00	15000.00	12500.00	52500.00
3	राज्य	50000.00	35000.00	25000.00	110000.00

(द) कृषक चयन एवं अनुदान भुगतान प्रक्रिया :–

1. गन्ना समिति को नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता सदस्य हो।
2. गन्ना समिति का पुराना बकायेदार न हो।
3. कृषक के चयनित प्लाट का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.200 हे0 हो जिसमें स्वीकृति प्रजाति का गन्ना बोया गया हो।
4. कृषक द्वारा निर्धारित समयावधि (15 सितम्बर तक) में सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर भरा गया हो।
5. जिले के लिये निर्धारित प्रवेश शुल्क रू0 150, मण्डल के लिये रू0 250 तथा राज्य के लिये रू0 500 प्रति कृषक होगा।
6. पुरस्कार हेतु चयनित प्लाट की कटाई विभागीय प्रक्रिया के अनुसार करायी जायेगी।
7. स्वीकृति प्रजाति के पौधे की कटाई उपरान्त सम्बन्धित स्तर पर प्राप्त अधिकतम उपज के आधार पर पुरस्कार का वितरण किया जायेगा।
8. कटाई प्रोग्राम का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।
   1. जिला स्तर के प्राप्त समस्त प्रवेश फार्म का कटाई प्रोग्राम– जिला गन्ना अधिकारी द्वारा
   2. मण्डल स्तर के प्राप्त समस्त प्रवेश फार्म का कटाई प्रोग्राम– संयु0/उप ग0आ0 द्वारा
   3. राज्य स्तर के प्राप्त समस्त प्रवेश फार्म का कटाई प्रोग्राम– गन्ना आयुक्त द्वारा

9. पुरस्कारों का निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जायेगी।

1–	जिला स्तर –	अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
		सदस्य	–	जिला कृषि रक्षा अधिकारी
		सदस्य	–	जन0 का वरि0 ज्ये0ग0वि0 निरी0
		सदस्य/ सचिव	–	जिला गन्ना अधिकारी
2–	मण्डल स्तर	अध्यक्ष	–	मण्डलायुक्त
		सदस्य/ सचिव	–	संयुक्त/ उप गन्ना आयुक्त
		सदस्य	–	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
		सदस्य	–	उप/ संयु0 निदेशक (कृषि रक्षा)
3–	राज्य स्तर	अध्यक्ष	–	गन्ना आयुक्त
		सदस्य	–	अपर गन्ना आयुक्त (विकास)
		सदस्य/ सचिव	–	मुख्य प्रचार अधिकारी

10 (अ)– प्रसार कार्मिकों को प्रोत्साहन

प्रसार कार्मिकों को प्रोत्साहन धनाशि के वितरण का आधार निम्नवत होगा :–

1. पौधशाला अधिष्ठापन (लक्ष्य के सापेक्ष)
2. प्रदर्शन अधिष्ठापन (लक्ष्य के सापेक्ष)
3. पौधशाला का निरीक्षण (लक्ष्य के सापेक्ष)
4. प्रदर्शन निरीक्षण (लक्ष्य के सापेक्ष)
5. पौधशाला बीज वितरण (लक्ष्य के सापेक्ष)

6. प्रदर्शन उत्पादकता (लक्ष्य के सापेक्ष)
7. कृषि यन्त्र वितरण संख्या/ धनाशि (लक्ष्य के सापेक्ष)
8. मृदा नमूनों के संकलित करने की संख्या (लक्ष्य के सापेक्ष)
9. माइक्रो न्यूट्रियन्ट वितरण (कु0 में) एवं उपयोगिता अनुदान (ला0रू0में) (लक्ष्य के सापेक्ष)
10. उत्पादकता पुरस्कार हेतु भराये गये फार्मों की संख्या एवं उनके सापेक्ष कटाई

10 (ब)– प्रोत्साहन धनराशि–

1. प्रत्येक गन्ना विकास परिषद स्तर पर चयनित गन्ना पर्यवेक्षकों (ग्राम स्तरीय कर्मचारी) को प्रथम पुरस्कार रू0 3000, द्वितीय पुरस्कार रू0 2000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 1000 देय होगा।
2. जनपद स्तर पर चयनित गन्ना विकास निरीक्षकों को प्रथम पुरस्कार रू0 5000, द्वितीय पुरस्कार रू0 4000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 3000 देय होगा।
3. मण्डल स्तर पर चयनित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को प्रथम पुरस्कार रू0 10000, द्वितीय पुरस्कार रू0 7500 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 5000 देय होगा।
4. मण्डल स्तर पर चयनित जिला गन्ना अधिकारियों को प्रथम पुरस्कार रू0 25000, द्वितीय पुरस्कार रू0 20000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 15000 देय होगा।
5. राज्य स्तर पर चयनित उप/ संयुक्त गन्ना आयुक्तों को प्रथम पुरस्कार रू0 40000, द्वितीय पुरस्कार रू0 30000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 25000 देय होगा।
6. राज्य स्तर पर अपर गन्ना आयुक्त (विकास/ शोध एवं समन्वय)/ प्रबन्ध निदेशक को प्रथम पुरस्कार रू0 40000 देय होगा।

10 (स)– पुरस्कार निर्धारण कमेटी :–

1) परिषद स्तरीय कमेटी –

(अ) दो गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष
(ब) दो गन्ना समिति के अध्यक्ष
(स) दो चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक
(द) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक
(य) जिला गन्ना अधिकारी

2) जिला स्तरीय कमेटी –

(अ) जिला गन्ना अधिकारी
(ब) जिला मुख्यालय के गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष
(स) जिले में स्थित किसी एक चीनी मिल का प्रधान प्रबन्धक
(द) जिले में कार्यरत समस्त जयेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक
(य) जिले में कार्यरत दो वरिष्ठतम गन्ना विकास निरीक्षक
(र) जनपद में कार्यरत संगणक

3) मण्डल स्तरीय कमेटी –

(अ) उप/ संयुक्त गन्ना आयुक्त
(ब) मण्डल के समस्त जिला गन्ना अधिकारी
(स) मण्डल में स्थित गन्ना विकास परिषदों तथा गन्ना समिति के दो अध्यक्ष